



**बिहार सरकार**  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)  
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार  
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना-800 014;

संख्या- FC/40/2021-751

प्रेषक,

एम. जे. अली,  
सहायक वन संरक्षक।

सेवा में,

श्रीमती कामिनी कुमारी,  
द्वारा-श्री मुरारी सिंह,  
सारण एकाडमी स्कूल पथ दहियावां,  
सारण, पिन-841301

पटना 14, दिनांक- 08/10/2024

विषय- श्रीमती कामिनी कुमारी द्वारा सारण जिलान्तर्गत तुजारपुर मौजा के खाता संख्या-16, खेसरा संख्या-699, थाना- संख्या-392, अंचल-नगरा में खैरा-मदौरा पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.018 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक-FP/BR/Approach/125768/2021/528, दिनांक 27.08.2024 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 717, दिनांक 26.09.2024

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक-FP/BR/Approach/125768/2021/528, दिनांक 27.08.2024 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर दो भागों में (A एवं B) सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। भाग-A में 1-6 शर्तें तथा भाग-B में 1-9 शर्तें अधिरोपित है। तदआलोक में इस कार्यालय के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV मद में राशि जमा करने तथा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया है।

2. इस कार्यालय के पत्रांक 717, दिनांक 26.09.2024 द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण की राशि का आकलन रु. 410 प्रति मा.दि. के आधार पर किया गया था। वर्तमान में श्रम संसाधन विभाग द्वारा मजदूरी दर में वृद्धि करते हुए रु. 412 प्रति मा.दि. किया गया है।

अतएव सैद्धांतिक स्वीकृति के भाग संख्या-A के कंडिका संख्या-1 के आलोक में क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रु. 412/प्रति मा.दि.) के आधार पर रु. 8,97,311/- (आठ लाख सनतानवे हजार तीन सौ ग्यारह रुपये) मात्र की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रु. 412 प्रति मानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनरोपण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतये होगा।

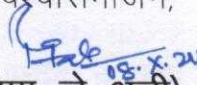


3. सैद्धांतिक स्वीकृति के भाग-A के कंडिका संख्या-2 के आलोक में अपयोजित होने वाली वन भूमि कुल- 0.018 हेक्टेयर के लिए NPV की राशि रु. 9,57,780/- प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रु० 17,240/- (सतरह हजार दो सौ चालीस रुपये मात्र) को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा विभाग को उपलब्ध कराएगी।

4. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 की राशि रु. 8,97,311.00 (+) रु. 17,240.00 अर्थात् कुल रु. 9,14,551.00 (नौ लाख चौदह हजार पाँच सौ इक्कावन रुपये) मात्र को मंत्रालय द्वारा निर्धारित परिवेश पोर्टल के माध्यम से जमा किया जाय तथा जमा राशि से संबंधित UTR No. को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाय।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रसंगाधीन पत्र में अधिरोपित शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुए इस कार्यालय को समर्पित करेंगे, ताकि विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

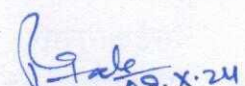
  
(एम. जे. अली)

सहायक वन संरक्षक।

ज्ञापांक FC- 751

दिनांक 08/10/2024

प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रु. 412/प्रति मा.दि.) के आधार पर प्रयोक्ता एजेन्सी एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

  
(एम. जे. अली)

सहायक वन संरक्षक।

ज्ञापांक FC- 751

दिनांक 08/10/2024

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(एम. जे. अली)

सहायक वन संरक्षक।